राँची समाहरणालय, राँची।
(जिला भू–अर्जन शाखा)

www.dlaoranchi.in
dlaoranchi@gmail.com, dlaoranchi@rediffmail.com

पत्रांक ....719 C...

प्रेषक,

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
राँची।

सेवा में,

– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, राँची।
– प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, राँची।
– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, राँची।

दिनांक 15/05/18

विषय :– मल्टीलेबल पार्किंग परियोजना का धारा–11(I) के तहत् प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मौजा–कोकर (साधु मैदान), थाना न॰–196, अंचलः–बड़गाँई अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि की धारा–11 (1) का प्रकाशन दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों, जिला गजट एवं समुचित सरकार के वेबसाईट पर प्रकाशन करने की कृपा करें।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
15/5/18
राँची।

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(जिला भू–अर्जन कार्यालय, राँची)

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है मौजा–कोकर (साधु मैदान), थाना न॰–196, अंचलः–बड़गाँई, जिला–राँची में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना–मल्टीलेबल पार्किंग परियोजना हेतु अपेक्षित है, प्रभावित परिवारों के पुर्नर्वासन एवं पुर्नव्यस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1) (ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासन के रुप में नियुक्त किए गए है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम/मौजा–कोकर (साधु मैदान), थाना न॰–196, अंचलः–बड़गाँई, जिला–राँची में उपर्युक्त कथित परियेाजना के लिए कमोवेश रकबा रकबा–5.00 एकड़ भूमि मानक माप का भू–खंड, जिसका विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :–

<u>मौजा– कोकर (साधु मैदन)</u>

क्र0	खाता सं0	सर्वे प्लॉट सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	101	563	रैयती		0.32	राय साहेब, लक्ष्मी नारायण पिता वृन्दा प्रसाद वो कुलदीप नारायण जायसवाल	R.S. Plot-563, 564	हजारीबाग रोड	R.S. Plot-567, 568	R.S. Plot-563, 566
2	102	564	रैयती		0.25	राय साहेब, लक्ष्मी नारायण पिता वृन्दा प्रसाद	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
3	118	567	रैयती		0.73	राय साहेब, लक्ष्मी नारायण पिता वृन्दा प्रसाद	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
				कुल	1.30					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11(1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि मे किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/सममाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथा विनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र

करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नही करेगा या ऐसा कोई अंतरण नही करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

सहायक	अमीन	प्र0स0	कानूनगो,	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, राँची	अपर समाहर्त्ता, राँची।	उपायुक्त, राँची।

D:\AKASH\DHARA-11\KANTATOLI FLY